मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 / 02 /2022

क्रमांक एफ 16-16/2021/ए-ग्यारह :-राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स ट्राईडेन्ट ग्रुप द्वारा रू. 177.00 करोड़ के कुल पूंजी निवेश (प्लांट मशीनरी एवं भवन में रू. 119.98 करोड़) से बुदनी, जिला सीहोर में स्पिनिंग परियोजना स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता** – उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2021) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता परियोजना अन्तर्गत यंत्र-संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर 30 प्रतिशत की स्थिर दर से 7 वर्ष की अवधि में बिना किसी सीमा के शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये। परियोजना को योजना अन्तर्गत प्रावधानित निर्यात एवं रोजगार गणक का लाभ शर्तों के अध्याधीन पृथक से प्राप्त होगा।

2. **ब्याज अनुदान** :- उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2021) के प्रावधान अनुसार टेक्सटाईल्स उद्योगों के लिए विशेष वित्तीय सहायता अन्तर्गत भारत सरकार की टफ स्कीम में वस्त्र मंत्रालय के संकल्प क्रमांक 06.04.2007- सी 71, नई दिल्ली नवम्बर, 2007 में वर्णित टफ अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी पर लिये गये टर्म लोन पर ब्याज अनुदान शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।

3. **विद्युत शुल्क से छूट** – इकाई द्वारा स्थापित विद्युत कनेक्शन पर आवेदित परियोजना हेतु लिये गये अतिरिक्त भार पर उत्पादन प्रारंभ दिनांक से 10 वर्ष हेतु 0.25 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क प्रभारित किया जाये।

4. **विद्युत टैरिफ में रियायत** – इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रूपये 1/- प्रति यूनिट की छूट दी जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।

5. **प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति** – परियोजना में कार्यरत मध्यप्रदेश के मूल निवासी नवीन कर्मचारियों (नियमित एवं कन्ट्रैक्ट कर्मचारियों सहित) को प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति के रूप में 4 माह तक 50% वेतन की प्रतिपूर्ति अधिकतम रूपये 1 लाख तक की जाये। यह सुविधा प्रतिवर्ष अधिकतम रूपये 1 करोड़ की सीमा में होगी तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से 5 वर्षों के लिये देय होगी।

6. परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2021) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगी।

7. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से, प्रतिबद्ध निवेश के साथ, 4 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।

8. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ.क्र. एफ 16-16/2021/ए-ग्यारह **भोपाल, दिनांक 14/02/2022**

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
2. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, तकनीकि शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
5. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल।
6. कलेक्टर, जिला सीहोर।
7. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स ट्रायडेन्ट ग्रुप लि. ई-212, किचलू नगर, लुधियाना (पंजाब) – 141001।

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग